रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-511/2023/714/22-2-2023-17(32)/2001

लखनऊ:दिनांक: 14 अगस्त, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर सिंह (बन्दी संख्या-16642) पुत्र श्री दलेल सिंह, निवासी ग्राम-सोन्टा, थाना-मन्सूरपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-373/1984 में भा0द0वि0 की धारा-148 302/149, 201/149, 506/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 05.03.1990 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 13.07.1994 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया तथा सत्र परीक्षण संख्या-34/1988 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 08.07.1991 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-373/1984 के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2022 तक 27 वर्ष, 05 माह 08 दिन की अपरिहार सजा तथा 36 वर्ष, 03 माह, 18 दिन की सपरिहार सजा तथा सत्र परीक्षण संख्या-34/1988 के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2022 तक 16 वर्ष, 04 माह 06 दिन की अपरिहार व सपरिहार भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

संख्या-511/2023/714(1)/22-2-2023 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन नं0-1624/2022 इन रिट पिटीशन नं0-58/2022 ओमवीर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2022 के सन्दर्भ में।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in